

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 का कार्यवृत्त

स्थान: कुलपति कान्फ्रेंस कक्ष

समय अपरान्ह 3.30 बजे

उपस्थिति:-

- | | |
|---|----------------------|
| 1. प्रो० वी० के० सिंह, कुलपति, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर | अध्यक्ष |
| 2. श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक, से०नि० सिंचाई विभाग, लखनऊ | सदस्य |
| 3. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) | सदस्य |
| 5. विशेष कार्याधिकारी महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 6. कुलसचिव, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सदस्य |
| 7. परीक्षा नियंत्रक, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सदस्य |
| 8. वित्त अधिकारी, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सचिव |

कार्य-वृत्त

- वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
- वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 के विन्दु सं० 03 के 1, 2 एवं 3 पर लिये निर्णय पर कार्यपरिषद के निर्णयानुसार पुनर्विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 के विन्दु सं० 03 के 1, 2 एवं 3 पर लिये निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए दरों में निम्नवत् संशोधन करते हुए भुगतान किये जाने की संस्तुति की है, जो निम्नवत् है-
 - समन्वयक - 45,000=00 एक मुश्त
 - सह-समन्वयक - 40,000=00 एक मुश्त
 - तृतीय श्रेणी कर्मचारी - 18,000=00 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 11,000=00 एक मुश्त
- प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी भुगतान हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 के विन्दु संख्या 10 पर बजट संशोधन हेतु गठित समिति की आख्या में विन्दु संख्या 07 एवं 08 पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 के विन्दु सं० 10 पर गठित समिति की रिपोर्ट में क्रम संख्या - 07 एवं 08 को संशोधनों के साथ भुगतान हेतु संस्तुति की गयी-
 - नियन्ता - रू० 1000 प्रतिदिन
 - सहायक नियन्ता - रू० 700 प्रतिदिन
- डॉ० विजय चहल, सचिव क्रीड़ा परिषद के पत्र दिनांक 30.10.2019 द्वारा क्रीड़ा परिषद वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 की संस्तुति को विश्वविद्यालय वित्त समिति से संस्तुत कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा क्रीड़ा परिषद की वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 में बजट एवं विभिन्न दरों में लिये गये निर्णयों को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।
- अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 30.10.2019 द्वारा व्यवसाय प्रशासन विभाग के एम०बी०ए० पाठ्यक्रम की बजट कमेटी की बैठक दिनांक 13.03.2019 के संलग्न कार्यवृत्त के संकल्प सं०-01 एवं 02 के सम्बन्ध में विचार।

pl

Dr

Dr

Dr

Me

Dr. FO.

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें विशिष्ट व्याख्यानों के लिए आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञों के लिए निर्धारित मानदेय रू0 1000 प्रति व्याख्यान को बढ़ाकर रू0 1200 तथा स्थानीय वाह्य विशेषज्ञों के लिए निर्धारित मानदेय रू0 600 प्रति व्याख्यान से बढ़ाकर रू0 800 प्रति व्याख्यान की संस्तुति की गयी।

6. प्रो0 संजय बैजल, अभिरक्षक संतकबीर छात्रावास के पत्र दिनांक 24.10.2019 द्वारा इलाहाबाद बैंक, विश्वविद्यालय शाखा, गोरखपुर में संतकबीर छात्रावास हेतु मेस एकाउण्ट खोले जाने के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा संतकबीर छात्रावास में "मेस एकाउण्ट" खोले जाने हेतु प्रस्ताव से अवगत हुई तथा अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

7. डा0 केशव सिंह, कार्यक्रम समन्वयक के पत्र दिनांक 11.10.2019 द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना में सम्बद्ध महाविद्यालयों की गतिविधियों के संचालन के लिए आवागमन हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक के लिए गाड़ी खरीदे जाने एवं वाहन चालक उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

8. श्री संदीप त्रिपाठी, वरिष्ठ सहायक, यू0जी0सी0 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट सेण्टर के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2019 द्वारा मूल्यांकन कार्य में निदेशक, यू0जी0सी0 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट सेण्टर के बिना अनुमति एवं विभाग से कार्यमुक्त हुए सहयोग किए जाने के उपरान्त मानदेय/पाली भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि निदेशक यू0जी0सी0 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट सेण्टर के बिना अनुमति एवं विभाग से कार्यमुक्त हुए मूल्यांकन कार्य में सहयोग किये जाने के पाली भुगतान के सम्बन्ध में निदेशक, यू0जी0सी0 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट सेण्टर द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

9. प्रो0 एन0 पी0 भोक्ता, अध्यक्ष/अधिष्ठाता, प्रौढ सतत् एवं प्रसार शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्रौढ सतत् एवं प्रसार शिक्षा विभाग द्वारा संचालित फैशन एसेसरीज एवं क्राफ्ट डिजाइनिंग तथा एजुकेशनल इन्फारमेशन टेक्नालॉजी के तकनीकी विशेषज्ञों के मानदेय वृद्धि एवं शुल्क में वृद्धि किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार किया गया।


10. प्रो0 रविशंकर सिंह, विशेष कार्याधिकारी महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ के पत्र दिनांक 09.08.2019 द्वारा नाथ पंथ विश्वकोश निर्माण हेतु प्रोजेक्ट अनुदान एवं अन्य मदों पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विशेष कार्याधिकारी महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ के प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सहायक शोधार्थी को रू0 5,000 प्रति माह के मानदेय तथा सीटिंग एलाउन्स रू0 2000 प्रति दिन की दर से भुगतान की संस्तुति की गयी।





 F.O.








11. प्रो० अवधेश कुमार तिवारी, समन्वयक/अध्यक्ष, पुरातन छात्र परिषद के पत्र दिनांक 06.11.2019 द्वारा पुरातन छात्र परिषद के प्रथम वार्षिक सम्मेलन हेतु ₹0 5,00,000=00 (₹0 पाँच लाख मात्र) स्वीकृत करने एवं सदस्यता शुल्क ₹0 5,000=00 (₹0 पाँच हजार मात्र) को घटाकर ₹0 1100=00 (₹0 ग्यारह सौ मात्र) किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा समन्वयक/अध्यक्ष, पुरातन छात्र परिषद के प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें सदस्यता शुल्क ₹0 5000=00 के स्थान पर आजीवन सदस्यता हेतु शुल्क ₹0 1100=00 को स्वीकार किया गया तथा एलूमनाई एसोसिएशन के प्रथम वार्षिक सम्मेलन के लिए सामान्य निधि के बजट से ₹0 3,00,000=00 का व्यय अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी।
12. मे० संजय ट्रेडर्स, गोरखपुर द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान पत्रावली उपलब्ध न हो पाने की दशा में एफिडेवित प्राप्त कर ₹0 44,163=00 (₹0 चौवालिस हजार एक सौ तिरसठ मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा सर्वप्रथम मूल पत्रावली उपलब्ध न होने तथा फर्म के शपथ पत्र के आधार पर ₹0 44,163=00 फर्म को भुगतान किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृति प्रदान की गयी तथा साथ ही पत्रावली पर विना स्वीकृति प्राप्त किये कार्य कराया गया इस हेतु अवर अभियन्ता (विद्युत) से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। साथ ही पत्रावली गुम होने की दशा में सम्बन्धित अवर अभियन्ता के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की भी समिति द्वारा अनुशंसा की गयी।
13. प्रो० अजय सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 20.08.2019 द्वारा पर्यावरण विज्ञान विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।
14. प्रो० मालविका श्रीवास्तव, समन्वयक, औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के पत्र दिनांक 27.07.2019 द्वारा औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की माँग किये है पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।
15. कुलसचिव के आदेश सं० 1031/सा०प्र०/2019 दिनांक 25.06.2019 द्वारा श्री मो० वकील, से०नि० झाइवर से सेवानिवृत्ति के उपरान्त दिनांक 02.05.2019 से 30.04.2020 (एक वर्ष के लिए) तक के लिए अनुमति प्रदान की गयी है, जिनके मानदेय वृद्धि पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने पूर्व में सेवानिवृत्ति अन्य कर्मचारियों को सेवा विस्तार किये गये को शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मानदेय निर्धारण किया गया है, उसी प्रकार मो० वकील, सेवानिवृत्त झाइवर के सेवा विस्तार का मानदेय निर्धारण भी किया जाय, साथ ही मो० वकील का हैबी झाइविंग लाइसेन्स एवं फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया जाय।
16. अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्र दिनांक 14.10.2019 द्वारा वर्ष 2019-20 का वार्षिक बजट वित्त समिति से पारित कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा इलेक्ट्रानिक्स विभाग के M.Sc (Electronics) पाठ्यक्रम के वार्षिक बजट वर्ष 2019-20 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

17. सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव दिनांक 27.09.2019 द्वारा कैम्पस में वाई-फाई की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने हेतु रिलायन्स जियो के टावर का किराया निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्पत्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कैम्पस में जियो द्वारा वाई-फाई निःशुल्क सुविधा प्रदान किये जाने हेतु एवं टावर किराया निर्धारण से सम्बन्धित है, पर विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा कुलसचिव एवं जियो के बीच पूर्व में किये गये अनुबन्ध के विधिक न होने के कारण रिलायन्स जियो को नोटिस जारी करते हुए विश्वविद्यालय से सम्पर्क कर नये सिरे से अनुबन्ध निष्पादित कराये जाने की संस्तुति की गयी।
18. सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव दिनांक 19.09.2019 द्वारा बी0एस0एन0एल0 टावर के किराया निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर बी0एस0एन0एल0 टावर के किराये वृद्धि पर विचार किया जिसमें बी0एस0एन0एल0 को नोटिस जारी करने की संस्तुति की गयी।
19. प्रो0 हिमांशु पाण्डेय, निदेशक, यू0जी0सी0 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट केन्द्र के पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा श्री सुधाकर मिश्र, स्टेनो टाइपिस्ट/कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।
20. विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2019-20 के कुछ मदों में धन उपलब्ध न होने के कारण उन मदों में पुर्नविनियोग के द्वारा मद में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने सामान्य निधि के बजट 2019-20 के अन्य मदों के बचत से निम्नलिखित मदों में वृद्धि की संस्तुति की गयी—
1. मानदेय — बजट प्राविधान रू0 500000 को बढ़ाकर रू0 8,00,000
 2. समावर्तन समारोह — बजट प्राविधान रू0 33,00,000 से बढ़ाकर रू0 40,00,000
21. अवशेष सम्परीक्षा शुल्क रू0 2,00,81,173.17/- शासन द्वारा माफ किये जाने के फलस्वरूप सम्परीक्षा शुल्क का अपलेखन किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा अवशेष सम्परीक्षा शुल्क रू0 2,00,81,173.17/- को शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-1/2019/आडिट-2-1155/दस-2019-355(11)/2017 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा माफ करते हुए उक्त सम्परीक्षा शुल्क का अपलेखन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज के द्वारा कर दिया गया है, से अवगत हुई और समिति द्वारा सामान्य निधि के वर्ष 2020-21 के बजट में उक्त मद को समाप्त करने की संस्तुति की गयी।
22. सम्पत्ति अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के संवाद भवन, प्रेक्षागृह एवं कन्वेंशन सेण्टर के रख-रखाव हेतु निर्धारित धनराशि चालू खाता सं0 2018925000 में जमा किया जाता रहा है, खाते का रख-रखाव न किये जाने के कारण तथा उक्त धनराशि सामान्य निधि में अवतरित न होने पर स्थानीय निधि लेखा द्वारा आपत्ति किये जाने तथा वित्त अधिकारी महोदय द्वारा चालू खाता को बचत खाता में परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने लेखा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करते हुए संवाद भवन, प्रेक्षागृह एवं कन्वेंशन सेण्टर के रख-रखाव हेतु चालू खाता 2018925000 में जमा रू0 48,61,163.84 मात्र को विश्वविद्यालय के सामान्य खाता सं0-20189224709 में स्थानान्तरित करते हुए खाते को बन्द किये जाने की संस्तुति की। संवाद भवन, प्रेक्षागृह एवं कन्वेंशन सेण्टर से प्राप्त शुल्क एवं ब्याज का रख-रखाव लेखा विभाग द्वारा किया जायेगा।



23. सम्पति अधिकारी कार्यालय में कार्यरत स्थाई कर्मचारियों को प्रवेश परीक्षा मद से मानदेय भुगतान किये जाने पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा सम्पति अधिकारी कार्यालय में स्थाई रूप से कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 500=00 एवं 300=00 प्रति प्रवेश परीक्षा प्रतिदिन भुगतान करने की संस्तुति की गयी।

24. बी0ए0 एल-एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम (स्ववित्तपोषित योजना) के भवन निर्माण हेतु विकास समिति की बैठक दिनांक 22.11.2019 में पाठ्यक्रम के बचत से प्राप्त धनराशि से निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त निर्माण के प्रथम तल हेतु कुल रू0 264 लाख धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा बी0ए0 एल-एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम (स्ववित्तपोषित योजना) के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय सामान्य निधि के निर्माण/अनुरक्षण मद से इस शर्त के साथ किया जायेगा कि उक्त पर होने वाला समस्त व्यय बी0ए0 एल-एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम (स्ववित्तपोषित योजना) की आय से बचत की धनराशि सामान्य निधि में प्राप्त कर समायोजित किया जायेगा।

25. परीक्षा कार्यों के मूल्यांकन हेतु सेमेस्टर, बैंक पेपर, बी0एड0, मेडिकल परीक्षा, नर्सिंग पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु नियुक्त समन्वयक, सह-समन्वयक, कर्मचारियों को पाली के रूप में भुगतान हेतु प्राप्त देयको पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा परीक्षा कार्यों के मूल्यांकन हेतु सेमेस्टर, बैंक पेपर, बी0एड0, मेडिकल परीक्षा, नर्सिंग पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु नियुक्त समन्वयक, सह-समन्वयक, कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं पाली के रूप में भुगतान प्रस्ताव पर विचारार्थ हेतु एक समिति का निम्नवत् गठन किया गया-

1. प्रति कुलपति
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
3. कुलसचिव
4. परीक्षा नियन्त्रक
5. लेखाधिकारी

साथ ही समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में परीक्षा से सम्बन्धित कापियों के मूल्यांकन के समस्त देयकों जिनका भुगतान अबतक नहीं हुआ है, के भुगतान की कार्यवाही वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिये जाने की संस्तुति की गयी। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के किसी भी प्रकार की देयता को अगले वित्तीय वर्ष में भारित न किया जाय।

26. श्री भगवान महावीर पी0जी0कालेज पावानगर (फाजिलनगर) कुशीनगर के पत्र दिनांक 25.11.2019 द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा शुल्क के अग्रसारण शुल्क 100.00 में से रू0 36.00 विश्वविद्यालय को प्राप्त धनराशि को माफ करने पर विचार।

प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा के अग्रसारण शुल्क के सम्बन्ध में लिये गये पूर्व में निर्णय में कोई परिवर्तन न करते हुए पूर्व की व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालयों को रू0 64 में से रू0 36 शिक्षकों को एवं रू0 14 कर्मचारियों, रू0 14 स्टेशनरी तथा विश्वविद्यालय में प्राप्त रू0 36 में से रू0 14 स्टेशनरी, रू0 12 परीक्षा सामान्य एवं परीक्षा गोपनीय रू0 10 लेखा विभाग में वितरित किये जाने की संस्तुति की गयी।

27. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

1. परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव दिनांक 27.11.2019 जो विश्वविद्यालय में उपाधि जॉच एवं हस्ताक्षर हेतु पारिश्रमिक दर में वृद्धि से सम्बन्धित है, पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपाधि के लिये पारिश्रमिक दर प्रति उपाधि निम्नवत् निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी-

(क) जॉचकर्ता (दो व्यक्तियों के लिये) पारिश्रमिक	रु0 1.50
(ख) प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु पारिश्रमिक	रु0 1.00
(ग) मोहर लगाने (दो व्यक्तियों के लिये) पारिश्रमिक	रु0 1.00
(घ) उपाधि वितरण करने का पारिश्रमिक	रु0 0.50

- हिन्दी विभाग द्वारा आयोजित होने वाले 'सेवा सदन के 100 साल: स्त्री मुक्ति का भारतीय पाठ' शीर्षक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में रिफेसमेन्ट एवं रात्रि भोज पर होने वाले व्यय पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त संगोष्ठी हेतु मात्र रिफेसमेन्ट हेतु व्यय सामान्य निधि के सेमिनार/कान्फ्रेंस मद से अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी।
- प्रो0 सुषमा पाण्डेय, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 25.11.2019 जो विभाग द्वारा आयोजित किये गये 'Life Span Human Development : Emerging Issues and Challenges' राष्ट्रीय सेमिनार पर हुए व्यय के भुगतान पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रकरण अधिष्ठातागण की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर उनके द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- श्री संतोष कुमार सिंह, कार्यालय प्रभारी, अतिथि गृह के द्वारा कन्टीजेन्सी व्यय के संचालन के सम्बन्ध पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अतिथि गृह के कन्टीजेन्सी व्यय के संचालन के लिए श्री संतोष कुमार सिंह, कार्यालय प्रभारी को अधीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

अपर निदेशक, कौशलगाँव एवं पेंशन, गोरखपुर
सदस्य

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सदस्य

विशेष कार्याधिकारी, महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ
विशेष आमंत्रित सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

श्री अतुल कु0श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक
से0नि0 (का0प0द्वारा नामित)
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति
28-11-19

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 की कार्यवृत्ति में बी0जे0 पाठ्यक्रम के बजट सत्र 2019-20 को समाहित किये जाने के सम्बन्ध में

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 में अध्यक्ष की अनुमति से विन्दु सं0-05 पर हिन्दी विभाग द्वारा संचालित स्नातक पत्रकारिता (बी0जे0) पाठ्यक्रम का सत्र 2019-20 का बजट प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था एवं बजट प्रस्ताव पारित किये जाने की संस्तुति भी की गयी, परन्तु त्रुटिवश टाइप करते समय विन्दु संख्या-05 पर बजट प्रस्ताव अंकित न हो सका जिसे कुलपति जी की अनुमति प्राप्त कर इसे कार्यवृत्त में समाहित कर लिया गया है।


वित्त अधिकारी

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 का कार्यवृत्त

स्थान: कुलपति कान्फ्रेंस कक्ष

समय अपरान्ह 3.30 बजे

उपस्थिति:-

1. प्रो० वी० के० सिंह, कुलपति, दी०द०उ०गो०वि०, गोरखपुर	अध्यक्ष
2. श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक, से०नि० सिंचाई विभाग, लखनऊ	सदस्य
3. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
5. कुलसचिव, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
6. परीक्षा नियंत्रक, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
7. वित्त अधिकारी, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सचिव

कार्य-वृत्त

- वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
- शिक्षकों के सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15.05.2019 के कार्यवृत्त के विन्दु सं० 3 पर लिए गये निर्णय पर विचार।
वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु सामूहिक स्वास्थ्य बीमा लागू किये जाने के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि शिक्षकों के सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदत्त करने हेतु गठित समिति तीन बीमा एजेन्सियों से कोटेशन प्राप्त कर उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर न्यूनतम प्रिमियम की दर के अनुसार संभावित व्यय भार की गणना करते हुए स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें, जिससे प्रकरण को शासन को संदर्भित कर सहमति प्राप्त कर उक्त योजना को लागू किया जा सके।
- प्रो० राजवन्त राव, समन्वयक, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 के पत्र दिनांक 28.05.2019 द्वारा बजट में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.09.2018 के विन्दु सं० 2 में लिए गये निर्णय के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2018-19 के लिए स्वीकृत दरों के बराबर वर्ष 2019-20 के लिए भी मानदेय भुगतान करने की संस्तुति की गयी, जो कि निम्नवत् है-
 - समन्वय को रू० 40,000.00 एकमुश्त
 - सह समन्वयक को 35,000.00 एकमुश्त
 - तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वर्ष 2018-19 में बजट में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रू० 15,000.00 तृतीय श्रेणी एवं रू० 9,000.00 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एकमुश्त देय होगा।
 - वर्ष 2019-20 की प्रवेश परीक्षा हेतु समन्वयक के प्रस्ताव पर सम्यक विचार करते हुए वित्त समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा वर्ष 2018-19 में अनुमन्य दरों के अनुसार भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी, जो कि निम्नवत् है-
 - (क) आइटम सेटिंग - रू० 40.00 प्रति आइटम
 - (ख) माडरेशन/रिव्यू - रू० 2000.00 प्रत्येक परीक्षा के लिए
 - (ग) नोडल अधिकारी - रू० 10,000.00 एकमुश्त (पूरे प्रवेश परीक्षा के लिए)
 - (घ) पर्यवेक्षक/केन्द्राध्यक्ष - रू० 2000.00 प्रति पाली
 - (ङ) सहायक केन्द्राध्यक्ष - रू० 1500.00 प्रति पाली

- (च) मुख्य कक्ष परिप्रेक्षक - ₹0 700.00 प्रति पाली
- (ज) कक्ष परिप्रेक्षक - ₹0 500.00 प्रति पाली
- (झ) केन्द्रों पर विविध व्यय - ₹0 10.00 प्रति छात्र
- (ञ) प्रवेश परीक्षा कार्यालय पर विविध व्यय - ₹0 10.00 प्रति छात्र

5. क्रम सं0 14 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि काउन्सिलिंग में लगे शिक्षकों/कर्मचारियों को कोई भी मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा।

6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा वर्ष 2019-20 का सम्भावित आय-व्यय विवरण निम्नवत् है-
सम्भावित आय

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1.	संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा आवेदन से प्राप्त आय	4,75,00,000.00
2.	स्नातकोत्त प्रवेश परीक्षा आवेदन से प्राप्त आय	89,00,000.00
	कुल	5,64,00,000.00

सम्भावित व्यय

क्र0सं0	मद/विवरण	धनराशि
1.	परीक्षा केन्द्र एवं नोडल सेण्टर पर व्यय	25,00,000.00
2.	आनलाइन आवेदन व्यय	20,00,000.00
3.	परीक्षा पूर्व प्रिटिंग एवं प्रोसेसिंग	15,00,000.00
4.	गोपनीय मुद्रण	20,00,000.00
5.	रिजल्ट प्रोसेसिंग	15,00,000.00
6.	परीक्षा संचालन समिति का मानदेय व्यय	20,00,000.00
7.	प्रश्नपत्र निर्माण पर व्यय	4,00,000.00
8.	जलपान पर व्यय	4,00,000.00
9.	विज्ञापन	6,00,000.00
10.	अन्य व्यय	10,00,000.00
	कुल	1,39,00,000.00

4. प्रो0 राजवन्त राव, समन्वयक, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 के पत्र दिनांक 28.05.2019 द्वारा प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित दी गयी धनराशि को केन्द्राध्यक्ष से प्रमाण-पत्र लेकर समायोजित मान लिया जाय सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समन्वयक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उपरोक्त प्रस्ताव को पोषणीय एवं स्वीकार्य न मानते हुए निरस्त करने की संस्तुति की गयी तथा समिति द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उक्त कार्य हेतु दिये गये अग्रिम का समायोजन संबंधित से समायोजन प्रपत्र प्राप्त कर नियमानुसार समायोजन कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. परीक्षा नियंत्रक के पत्र दिनांक 06.06.2019 द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का ₹0 40,000/- (₹0 चालीस हजार मात्र) से अधिक का भुगतान किए जाने एवं ₹0 40,000/- की अधिकतम सीमा को शासन को पत्र भेजकर अनुरोध किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की गयी:-

1. विगत वर्ष 2018-19 के मूल्यांकन संबंधी देयक जो स्वीकृत सीमा से अधिक धनराशि के है, का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट से कर दिया जाय।
2. परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए शासन द्वारा पुनरीक्षित बड़े दरों के दृष्टिगत परीक्षा कार्य के लिये देय पारिश्रमिक की अधिकतम निर्धारित सीमा में वृद्धि के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाय।

6. प्रो० राजवन्त राव, समन्वयक प्रवेश परीक्षा-2019 के पत्र दिनांक 10.06.2019 द्वारा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान नियन्त्रण कक्ष में कार्यरत कार्य संचालन समिति के सदस्यों के पारिश्रमिक दर निर्धारण पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा समन्वयक प्रवेश परीक्षा के पत्र दिनांक 10.06.2019 के प्रस्ताव के संदर्भ में यह संस्तुति की गयी कि प्रवेश समन्वयक एवं सह समन्वयक को उपरोक्त विन्दु सं 3 पर लिये गये निर्णय के अनुसार भुगतान किया जायेगा तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गोपनीय सामग्री वाहक एवं संकलनकर्ता को रू० 700.00 प्रति पाली (तृतीय श्रेणी) एवं रू० 350.00 प्रति पाली (चतुर्थ श्रेणी) सत्र 2018-19 के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।

7. प्रो० एच०एस० शुक्ल, सेवानिवृत्त आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग के पत्र दिनांक 01.05.2019 द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2018 तक के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति ने प्रो० एच० एस० शुक्ला, सेवानिवृत्त आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग के प्रत्यावेदन पर विचार किया। सम्यक विचारोपरान्त समिति ने उनके वेतन भुगतान की माँग को औचित्यपूर्ण न पाते हुए वेतन के स्थान पर उनकी कार्यरत अवधि के लिए सक्षम प्रशासनिक आदेश निर्गत करते हुए उन्हें तत्समय विश्वविद्यालय में अनुमन्य प्रति लेक्चर की दर के अनुसार पारिश्रमिक के रूप में विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यप्रमाणन के आधार पर भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की।

8. विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (बायोटेक्नोलाजी) में पूर्व में सृजित पदों के नियत वेतन निर्धारण हेतु को पुनः वित्त समिति में रखे जाने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा पूर्व में वित्त समिति के निर्णय के आलोक में विभाग में पदों को सृजित करते हुए निम्नवत् नियत वेतन दिये जाने की संस्तुति की गयी—

क्र०सं०	पद	पदों की संख्या	नियत मानदेय
1.	प्रयोगशाला सहायक	1	10,500 प्रतिमाह
2.	लाइब्रेरी सहायक	1	10,500 प्रतिमाह
3.	परिचर	1	आउटसोर्सिंग के माध्यम से
4.	माली	1	आउटसोर्सिंग के माध्यम से

9. स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न सम्वर्गों के पद सृजन के प्रस्ताव पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता विधि विभाग के पत्र दिनांक 10.11.2018 के पत्र पर विचार करते हुए निम्नवत् पदों के सृजन किये जाने की संस्तुति प्रदान की—

क्र०सं०	विषय	पदों की संख्या
1.	विधि (सैद्धान्तिक हेतु)	10
2.	विधि (प्रयोगात्मक हेतु)	03
3.	इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी (प्रत्येक विषय में एक-एक पद)	05
4.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	03
5.	पुस्तकालय प्रभारी	01
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04 (आउटसोर्सिंग के माध्यम से)
7.	बुक अटेंडेन्ट (चतुर्थ श्रेणी)	01 (आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुशल श्रेणी में)

10. बजट कमिटी, व्यवसाय प्रशासन विभाग में संचालित एम0बी0ए0 एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रस्ताव पर विचार। सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा व्यवसाय प्रशासन विभाग में एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम के बजट कमिटी की बैठक दिनांक 13.03.2019 में विन्दु सं0 1 एवं 2 को मान्य न करते हुए अस्वीकार किया गया तथा विन्दु सं0 3 के सम्बन्ध में समिति द्वारा एम0बी0ए0 विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के नियत वेतन की दरों में वृद्धि करते हुए निम्नवत् भुगतान करने की संस्तुति की गयी-

क्र0सं0	पदनाम	पूर्व में देय नियत वेतन	वर्तमान में निर्धारित नियत वेतन
1.	आशुलिपिक	17000/-	25,000/-
2.	कम्प्यूटर लैब सहायक	12,500/-	18,500/-
3.	कार्यालय सहायक	12,500/-	18,500/-
4.	परिचर	9,000/-	13,000/-
5.	बुक अटेन्डेन्ट	9,000/-	13,000/-
6.	स्वच्छक	9,000/-	13,000/-

3. सचिव वित्त अधिकारी को एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम के लेखा का कार्य देखने वाले को रू0 1500 से बढ़ाकर रू0 2250 प्रति माह की संस्तुति की गयी।
4. आन्तरिक सम्प्रेक्षक द्वारा सम्परीक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए रू0 1,000 प्रति वर्ष को बढ़ाकर रू0 1500 प्रति माह भुगतान की संस्तुति की गयी।
5. व्यवसाय प्रशासन विभाग में एम0बी0ए0 निधि से 100 कम्प्यूटर सेट का अत्याधुनिक और उच्चकृत कम्प्यूटर लैब विकसित करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया कि औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पूर्ण आगणन और सम्भावित व्यय भार के साथ वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
6. शुल्क वृद्धि के सम्बन्ध में व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा वित्त समिति द्वारा एम0बी0ए0 कोर्स के लिए विभिन्न मदों में निम्नवत् शुल्क वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी-

मद	पूर्व में लिये जाने वाले शुल्क	वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित शुल्क
Training and Placement fee	5,000/-	6,000/-
Development fee/Establishroom	5,000/-	6,000/-
Computer Lab fee	4,000/-	5,000/-
Library fee	3,000/-	4,000/-

7. वित्त समिति ने सम्यक विचारोपरान्त बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक रू0 300.00 प्रति लेक्चर से बढ़ाकर रू0 600.00 प्रति लेक्चर किये जाने की संस्तुति प्रदान की।
8. वित्त समिति द्वारा बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के नियत वेतन में निम्नवत् वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी-

क्र0सं0	पदनाम	पूर्व में देय नियत वेतन	वर्तमान में निर्धारित नियत वेतन
1.	एकाउन्टेन्ट	12,500/-	18,500/-
2.	कम्प्यूटर लैब सहायक	12,500/-	18,500/-

9. वित्त समिति ने बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के लेखा का कार्य देख रहे आन्तरिक सम्प्रेक्षक के मानदेय रू0 1,000/- से बढ़ाकर रू0 2,000/- प्रतिमाह किए जाने की संस्तुति की गयी।
10. वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर लिए जाने वाले शुल्क रू0 15,000/- का बढ़ाकर रू0 18,000/- किये जाने की संस्तुति की गयी।

11. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2019 द्वारा विश्वविद्यालय में मानदेय पर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की मांग किये है, पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी वेलफेयर एसोशिएशन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय में मानदेय पर कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को रू0 10,500.00 से बढ़ाकर रू0 15,500.00 प्रति माह भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।
12. संयोजक, रोवर्स एवं रेंजर्स में कार्यरत कर्मचारियों के नियत वेतन में वृद्धि की प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा संयोजक रोवर्स एवं रेंजर्स के प्रस्ताव पर विचार करते हुए मानदेय पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रू0 10,500.00 से बढ़ाकर रू0 15,500.00 प्रति माह तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से निर्धारित दर पर भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।
13. विधि विभाग में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता/गैस्ट फैकैल्टी का पारिश्रमिक/वेतन बढ़ाने पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विधि विभाग में अंशकालिक प्रवक्ता/गैस्ट फैकैल्टी को देय पारिश्रमिक रू0 350 प्रति लेक्चर से बढ़ाकर रू0 600 प्रति लेक्चर एवं अधिकतम रू0 25,000 प्रति माह की सीमा तक भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।
14. महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन शुल्क के निर्धारण के लिए विशेष कार्याधिकारी के प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन शुल्क के निर्धारण के लिए विशेष कार्याधिकारी के प्रस्ताव से अवगत हुई तथा समिति ने निर्धारित आवेदन शुल्क पर अपनी सहमति प्रदान की।
15. कम्युनिटी सेंटर पर सफाई कार्य में लगे कार्मिकों के लिए सफाई चार्ज रू0 1,000/- प्रति आंवटन के भुगतान से सम्बन्धी सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार किया गया।
16. प्रो0 हर्ष कुमार सिन्हा, मानद ग्रन्थालयी के अपने पत्र ग्रन्थालयी के कर्मियों द्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने का पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान दिये जाने पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने मानद ग्रन्थालयी के पत्र पर विचार करते हुए पुस्तकालय के सुबह 8.00 बजे से सायं 8.00 तक खुले रहने तथा पुस्तकालय में उक्त अवधि में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य करने हेतु तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रू0 2,000 प्रति माह तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू0 1200 प्रतिमाह की दर से मानद ग्रन्थालयी द्वारा कार्यप्रमाणन के उपरान्त भुगतान किये जाने की संस्तुति की। पूर्व में वित्त समिति के निर्णयानुसार एक वर्ष उक्तानुसार कार्य पूर्ण करने पर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अधिकतम रू0 25,000 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 15,000 भुगतान किया जायेगा।
17. श्री संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पत्र दिनांक 12.03.2019 द्वारा अतिथिगृह के अतिरिक्त प्रभार देखने के लिए मानदेय भुगतान पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अतिथि गृह में अवकाश के दिनों तथा अतिरिक्त समय में कार्य करने हेतु रू0 2000 प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए वित्त समिति द्वारा पूर्व में लिए गये निर्णयानुसार अधिकतम रू0 25,000 प्रतिवर्ष भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

18. डॉ० संजय बैजल, प्रमुख, विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के पत्र दिनांक 08.03.2019 द्वारा विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के वार्षिक बजट में वृद्धि के सम्बन्ध में पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव के औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार किया गया।
19. वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2019 अध्यक्ष की अनुमति से विन्दु सं० 2 को निम्नवत् संशोधन पर विचार। कम्प्यूटर साइंस विभाग के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी०सी०ए० के बजट सत्र 2018-19 पर विचार।
वित्त समिति उक्त से अवगत हुई तथा पूर्व की बैठक दिनांक 14.03.2019 में कम्प्यूटर साइंस विभाग के बजट अनुमोदन सम्बन्धित कार्यवृत्ति के विन्दु सं० 2 में निम्नवत् संशोधन किये जाने पर अपनी सहमति दी—
“वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विभाग के बी०सी०ए० पाठ्यक्रम के वार्षिक आय-व्ययक 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।”
20. अध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग के पत्र दिनांक 09.04.2019 द्वारा कम्प्यूटर साइंस विभाग में बी०सी०ए० मद से कम्प्यूटर लैब एवं सेमिनार हाल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने अध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस विभाग के द्वारा प्रस्तुत बी०सी०ए० पाठ्यक्रम हेतु कम्प्यूटर लैब, एवं सेमिनार हाल के रिनोवेशन के कार्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव रू० 49,74,500.00 पर विचार किया। समिति द्वारा उक्त कार्य को दो फेज में कराये जाने की संस्तुति की गयी। प्रथम फेज में साइट प्रिपेरेशन सम्बन्धी कार्य फाल्स सिलिंग, पार्टिशन एवं डोर सिफ्टिंग, सिलिंग लाइट, केबल, पेटिंग, फर्नीचर आदि का कार्य रू० 17,30,000 की सीमा के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था से कराया जायेगा तथा इक्वूपमेण्ट/एसेसरिज के क्रय का कार्य द्वितीय फेज में रू० 32,44,500 की सीमा के अन्तर्गत जेम के माध्यम से किया जायेगा। समिति द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्य बी०सी०ए० मद से कराये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की गयी कि उपरोक्त कार्य विश्वविद्यालय की विकास समिति के स्वीकृति के उपरान्त कराया जायेगा।
21. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय के पत्र दिनांक 14.03.2019 द्वारा संकाय कर्मचारियों को मानदेय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।
22. विश्वविद्यालय में सुरक्षा में लगाये गये उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०, गोरखपुर के पत्र दिनांक 17.05.2019 द्वारा दिनांक 15.07.2019 से एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाये गये उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०, गोरखपुर के अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर विचारार्थ एक समिति का निम्नवत् गठन किया गया—
1. वित्त अधिकारी
 2. नियन्ता
 3. कुलसचिव

ll





23. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।


1. सम्पति अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत पत्रावली विश्वविद्यालय में विद्युत विभाग हेतु हाइड्रोलिक गाड़ी खरीदने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में विद्युत अनुसंधान कार्य हेतु एक हाइड्रोलिक स्काई लिफ्ट गाड़ी टाटा ए0सी0ई0 9 मीटर का क्रय प्राप्त कोटेशन रू0 10,62,000 के अन्तर्गत एम0बी0 व्हीलर्स लि0, गोरखपुर से करने की संस्तुति की गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त गाड़ी सम्पति अधिकारी की देख रेख में रहेगी।


2. विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु एक अदद वाहन क्रय करने सम्बन्धी सम्पति अधिकारी के प्रस्ताव दिनांक 13.06.2019 पर विचार।


सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु एक अदद वाहन क्रय करने की संस्तुति की गयी।


अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।



अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
सदस्य

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सदस्य


कुलसचिव/परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य


श्री अतुल कुं0 श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक
से0नि0 (का0प0द्वारा नामित)
सदस्य


वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति


कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2019 का कार्यवृत्त

स्थान:—कुलपति कान्फ्रेंस कक्ष
समय अपरान्ह 3.30 बजे

उपस्थिति:—


1. प्रो० वी०के० सिंह, कुलपति, दी०द०उ०गो० विश्वविद्यालय, गोरखपुर — अध्यक्ष
2. श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक, से०नि० सिचाई विभाग, लखनऊ (कार्यपरिषद द्वारा नामित) — सदस्य
3. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर (प्रमुख, सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा) — सदस्य
5. अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग — विशेष आमंत्रित सदस्य
6. परीक्षा नियंत्रक, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
7. कुलसचिव, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
8. वित्त अधिकारी, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सचिव

कार्यवृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.09.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार। वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.09.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
2. विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक पर विचार। वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक को आंशिक संशोधनों के साथ अनुमोदित किए जाने की संस्तुति की गयी।
3. विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम०बी०ए० पाठ्यक्रम के वार्षिक वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विचार। वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम०बी०ए० पाठ्यक्रम के वार्षिक आय-व्ययक 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।
4. विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम के वार्षिक वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विचार। वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०बी०ए० पाठ्यक्रम के वार्षिक आय-व्ययक 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।
5. क्रीड़ा परिषद की वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.01.2019 के कार्यवृत्त को विश्वविद्यालय वित्त समिति से पारित कराने के सम्बन्ध में विचार। क्रीड़ापरिषद की वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.01.2019 की संस्तुति से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अवगत हुई।
6. रूंगटा डिस्ट्रीब्यूटर, गोरखपुर के लम्बित देयक के भुगतान के सम्बन्ध में विचार। वित्त समिति द्वारा रूंगटा डिस्ट्रीब्यूटर के स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि का कार्य कराये जाने के भुगतान सम्बन्धी प्रकरण पर पूर्व वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.02.2014 की संस्तुति को ही मान्य किए जाने की संस्तुति की गयी।
7. विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलाजी) विभाग के वार्षिक वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विचार। वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलाजी) विभाग के वार्षिक आय-व्ययक 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

—(2)

8. विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलाजी) विभाग का स्थाई अग्रिम विश्वविद्यालय के सामान्य खाते से दिया जायेगा या जैव प्रौद्योगिकी विभाग से, के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यकविचारोपरान्त विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलाजी) विभाग को स्थाई अग्रिम का भुगतान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के खाते से किये जाने की संस्तुति की गयी।
9. विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलाजी) विभाग में पूर्व में सृजित पदों के नियत वेतन निर्धारण हेतु को पुनः वित्त समिति में रखे जाने पर विचार।
वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलाजी) विभाग में पूर्व में सृजित पदों के नियत वेतन निर्धारण को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
10. पं० हरिहर प्रसाद दुबे फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा देय धनराशि रू० 9,20,000/- में पं० हरिहर प्रसाद दुबे मेमोरियल सोसायटी द्वारा पूर्व में प्रदत्त धनराशि रू० 4,00,000/- एवं इस प्राप्त व्याज से पं० हरिहर प्रसाद दुबे ट्रस्ट के नाम से विज्ञान संकाय के विभागों यथा-भौतिकी, गणित एवं प्राणि विज्ञान में छात्रवृत्ति वितरित करने एवं एम०ओ०यू० के प्रारूप का अनुमोदन करने के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पं० हरिहर प्रसाद दुबे फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा देय धनराशि रू० 9,20,000/- (रू० नौ लाख बीस हजार मात्र) में पं० हरिहर प्रसाद दुबे मेमोरियल सोसायटी द्वारा पूर्व में प्रदत्त धनराशि रू० 4,00,000/- (रू० चार लाख मात्र) एवं इस पर प्राप्त व्याज से पं० हरिहर प्रसाद दुबे ट्रस्ट के नाम से विज्ञान संकाय के विभागों यथा-भौतिकी, गणित एवं प्राणि विज्ञान में छात्रवृत्ति वितरित करने एवं एम०ओ०यू० के प्रारूप का अनुमोदन किये जाने की संस्तुति की गयी।
11. वी० के० प्रिन्टर्स, माडल हाडस, लखनऊ द्वारा सत्र 2013-14 में आपूर्तित सादी उत्तरपुस्तिकाओं के देयक से की गयी कटौती के भुगतान के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वी० के० प्रिन्टर्स, माडल हाडस, लखनऊ द्वारा सत्र 2013-14 में आपूर्तित सादी उत्तर पुस्तिकाओं के देयक से की गयी कटौती के भुगतान के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति की आख्या को स्वीकार किए जाने की संस्तुति की गयी।
12. मे० गैलेक्सी प्रेस, प्रा०लि० फेजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा सत्र 2017-18 की आपूर्तित सादी उत्तर पुस्तिकाओं के देयक से की गयी कटौती के भुगतान के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मे० गैलेक्सी प्रेस, प्रा०लि० फेजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा सत्र 2017-18 की आपूर्तित सादी उत्तर पुस्तिकाओं के देयक से की गयी कटौती के भुगतान के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति की आख्या को स्वीकार किए जाने की संस्तुति की गयी।
13. विश्वविद्यालय की शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात शोध पाठ्यक्रम में पंजीकृत 100 शोध-छात्रों, जिन्हें विश्वविद्यालय सहित किसी संस्था से कोई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती, को विश्वविद्यालय द्वारा रू० 2,000/- प्रतिमाह कुल तीन वर्ष अथवा शोध प्रबन्ध जमा होने की अवधि तक जो भी पहले हो, छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के सामान्य निधि के वार्षिक आय-व्ययक में बजट प्राविधान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात शोध पाठ्यक्रम में पंजीकृत अधिकतम 100 शोध छात्रों, जिन्हें विश्वविद्यालय सहित किसी संस्था से कोई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती को विश्वविद्यालय द्वारा रू० 2,000/- (रू० दो हजार मात्र) कुल तीन वर्ष अथवा शोध प्रबन्ध जमा होने की अवधि तक जो भी पहले हो, छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के सामान्य निधि के वार्षिक आय-व्ययक में रू० 25,00,000/- (रू० पच्चीस लाख मात्र) का बजट प्राविधान किये जाने की संस्तुति की गयी।
छात्रवृत्ति का भुगतान गठित समिति द्वारा निर्मित नियमावली का कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा।
14. परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव दिनांक 03.03.2019 द्वारा विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष 2019 से केन्द्राध्यक्षों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल को नोडल केन्द्र तक पहुँचाये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर रू० 7.00 प्रति कि०मी० को बढ़ाए जाने हेतु अनुरोध किया गया है तदक्रम में पूर्व निर्धारित दर पर रू० 7.00 प्रति कि०मी० को बढ़ाकर रू० 9.00 प्रति कि०मी० किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव पर विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव को अगले वित्त समिति तक स्थगित किये जाने की संस्तुति की गयी।



15. कुलसचिव के अधिसूचना सं० 1196/कमेटी/2019 दिनांक 09.02.2019 के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन में वित्त समिति की संस्तुति की प्रत्याशा में अधिनियम में वर्णित विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सभी (5) श्रेणियों में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में निःशुल्कता प्रदान की गयी है, से अवगत होना।
कुलसचिव महोदय के उक्त प्रस्ताव से समिति अवगत हुई।
16. प्रो० विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ के पत्र दिनांक 05.01.2019 द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रस्ताव पर विचार।
प्रो० विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ के पत्र दिनांक 05.01.2019 द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर एक समिति का गठन कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।
17. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के पटल का कार्य करने हेतु श्री रोहित शर्मा, वरिष्ठ सहायक को पारिश्रमिक दिये जाने पर विचार।
वित्त समिति द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के पटल का कार्य करने हेतु श्री रोहित शर्मा, वरिष्ठ सहायक को लेखा विभाग के पटल सहायकों की भौति अतिरिक्त कार्य देखने का रू० 1,000/- (रू० एक हजार मात्र) मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।
18. स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न सम्वर्गों के पद सृजन के प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न संवर्गों के पद सृजन के प्रस्ताव को अगली वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
19. विधि संकाय में स्ववित्त पोषितयोजना के अन्तर्गत संचालित विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के वार्षिक आय-व्ययक वर्ष 2018-19 पर विचार।
वित्त समिति द्वारा विधि संकाय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के वार्षिक आय-व्ययक वर्ष 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।
20. विश्वविद्यालय में अनुरक्षण/मरम्मत एवं विद्युत कार्य को निविदा के माध्यम अनिवार्य रूप से कराये जाने पर विचार।
वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में अनुरक्षण/मरम्मत एवं विद्युत कार्य कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराये जाने की संस्तुति की गयी। कार्यदायी संस्था का निर्धारण उसकी आम ख्याति एवं कार्य की गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा। विश्वविद्यालय के आकस्मिक एवं अपरिहार्य प्रकृति के कार्य को ही, कोटेशन/निविदा के माध्यम से कराये जाने की संस्तुति की गयी।
21. प्रो० विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष, शिक्षक संघ के पत्र दिनांक 08.03.2019 द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए आवास बनाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रो० विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष, शिक्षक संघ के प्रस्ताव पर निश्चय किया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के जो आवास ध्वस्त करने योग्य है उन्हें चिन्हित कर लिया जाय एवं उसके ध्वस्तीकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर तथा जो भवन नये बनाने है उसका स्थान एवं आगणन तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी।
22. प्रो० शिवाकान्त सिंह, पूर्व महामंत्री शिक्षक संघ द्वारा दिनांक 16-17 मई, 2015 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें रू० 1,69,983/- को अतिरिक्त व्यय जलपान एवं भोजन आदि पर किया गया। अतिरिक्त व्यय का भुगतान यू०जी०सी० मद में धन न होने के कारण न हो सका। अतः रू० 1,69,983/- का भुगतान मे० अन्नपूर्णा कैंटर्स एवं डेकोरेटर्स को सामान्य निधि खाते से किये जाने पर विचार।
प्रो० शिवाकान्त सिंह, पूर्व मंत्री शिक्षक संघ द्वारा दिनांक 16-17 मई, 2015 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें रू० 1,69,983/- को अतिरिक्त व्यय जलपान एवं भोजन आदि पर किया गया। अतिरिक्त व्यय का भुगतान यू०जी०सी० मद में धन न होने के कारण न हो सका। उक्त अतिरिक्त व्यय के भुगतान वित्त समिति द्वारा सामान्य निधि खाते से मे० अन्नपूर्णा कैंटर्स एवं डेकोरेटर्स को किये जाने की संस्तुति की गयी।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

23. सामान्य निधि के कतिपय मदों में पुनर्विनियोग द्वारा अतिरिक्त बजट आवंटन पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सामान्य निधि खाते के कतिपय मदों के बचत निम्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी—

क्र.सं०	मद	बजट प्राविधान	बजट में वृद्धि	पुनर्विनियोग के उपरान्त संशोधित बजट प्राविधान
1.	लेखन सामग्री	30,00,000.00	5,00,000.00	35,00,000.00
2.	जलपान	25,00,000.00	3,00,000.00	28,00,000.00
3.	विविध व्यय	60,00,000.00	5,00,000.00	65,00,000.00
4.	मजदूरी	5,50,00,000.00	1,75,00,000.00	7,25,00,000.00
5.	समावर्तन समारोह/स्वर्ण पदक	30,00,000.00	10,00,000.00	40,00,000.00
6.	स्थापना दिवस एवं अन्य	8,00,000.00	20,00,000.00	28,00,000.00
7.	बैंक समाधान एवं आर्थिक चिट्ठा	18,00,000.00	5,00,000.00	23,00,000.00

24. गुरुगोरक्ष नाथ शोध पीठ के व्यय हेतु धनराशि ₹0 3,00,000.00 (₹0 तीन लाख मात्र) बजट प्राविधान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गुरुगोरक्ष नाथ शोध पीठ के व्यय हेतु धनराशि ₹0 3,00,000.00 (₹0 तीन लाख मात्र) ऋण/अग्रिम के रूप में दिये जाने की संस्तुति की गयी, इसके साथ ही शासन से अनुदान प्राप्त होने पर उसे समायोजित कर लिया जाय।

25. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2019 द्वारा विश्वविद्यालय में मानदेय पर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की माँग किये हैं, पर विचार।

वित्त समिति अध्यक्ष, कर्मचारी संघ द्वारा विश्वविद्यालय में मानदेय पर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय की माँग को अगली वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार:—

1. बजट कमिटी, व्यवसाय प्रशासन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा व्यवसाय प्रशासन विभाग के बजट समिति की संस्तुति को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।

2. कम्प्यूटर साइंस विभाग के बजट सत्र 2018-19 पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित कम्प्यूटर साइंस विभाग के वार्षिक आय-व्ययक 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

3. औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के बजट सत्र 2018-19 पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के वार्षिक आय-व्ययक 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. पर्यावरण विज्ञान विभाग के बजट सत्र 2019-20 पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पर्यावरण विज्ञान विभाग के वार्षिक आय-व्ययक 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

5. विधि विभाग में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता/गेस्ट फैंकेल्टी का पारिश्रमिक/वेतन बढ़ाने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विधि विभाग में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता/गेस्ट फैंकेल्टी का पारिश्रमिक/वेतन बढ़ाने की माँग को अगली वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।

6. समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 के बजट प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रवेश परीक्षा- 2019 के बजट प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

7. समन्वयक शोध पात्रता परीक्षा 2019 के आय-व्ययक प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के शोध पात्रता परीक्षा 2019 के आय-व्ययक प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

8. आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के आय-व्ययक 2018-19 पर विचार।
वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के वार्षिक आय-व्ययक 2018-19 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।
9. संयोजक, रोवर्स एवं रेंजर्स के वार्षिक आय-व्ययक 2019-20 के प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा रोवर्स एवं रेंजर्स के वार्षिक आय-व्ययक 2019-20 के प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।
10. संयोजक, रोवर्स एवं रेंजर्स में कार्यरत कर्मचारियों के नियत वेतन में वृद्धि की प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा संयोजक, रोवर्स एवं रेंजर्स में कार्यरत कर्मचारियों नियम वेतन में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
11. महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन शुल्क के निर्धारण के लिए विशेष कार्याधिकारी के प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
12. अध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग के प्रस्ताव जिसमें विभाग में संविदा के आधार पर मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय भुगतान के प्रकरण पर विचार एवं गृह विज्ञान विभाग में M.Sc./M.A. आय-व्ययक सत्र 2019-20 पर विचार।
वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग से यह जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि गृह विज्ञान विभाग के आय में कमी होने का कारण क्या है। यदि गृह विज्ञान विभाग में कोई शुल्क लिया जाता था तो वह किसके आदेश से बन्द हुआ? पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया जाय। इसके साथ ही M.Sc./M.A. के आय-व्ययक सत्र 2019-20 को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।
13. कम्युनिटी सेंटर पर सफाई कार्य में लगे कार्मिकों के लिए सफाई चार्ज रू0 1,000.00 प्रति आवंटन के भुगतान में सम्बन्धी सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा कम्युनिटी सेंटर पर सफाई कार्य में लगे कार्मिकों के लिए सफाई चार्ज रू0 1,000.00 प्रति आवंटन के भुगतान में सम्बन्धी, सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
14. प्रो० हर्ष कुमार सिन्हा, मानद ग्रन्थालयी ने अपने पत्र ग्रन्थालयी के कर्मियों द्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने का पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान दिये जाने पर विचार।
वित्त समिति द्वारा प्रो० हर्ष कुमार सिन्हा, मानद ग्रन्थालयी ने अपने पत्र ग्रन्थालयी के कर्मियों द्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने का पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान के प्रस्ताव को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
15. श्री संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पत्र दिनांक 12.03.2019 द्वारा अतिथिगृह के अतिरिक्त प्रभार देखने के लिए मानदेय भुगतान पर विचार।
वित्त समिति द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पत्र दिनांक 12.03.2019 द्वारा अतिथिगृह के अतिरिक्त प्रभार देखने के लिए मानदेय के प्रस्ताव को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
16. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या-176/सत्तर-1-2019-15(32)/81 दिनांक 09.03.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश से अवगत होना।
वित्त समिति विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या-176/सत्तर-1-2019-15(32)/81 दिनांक 09.03.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने सम्बन्धी शासनादेश से अवगत हुई एवं शासनादेश की तिथि से लागू किये जाने की संस्तुति की गयी। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-3/2019/जी-2-41/दस-2019-601/2011 दिनांक 05.03.2019 से अवगत हुई तथा शासनादेश की तिथि से उक्त दरों को लागू किये जाने की संस्तुति की गयी।

17. डॉ० संजय बैजल, प्रमुख, विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के पत्र दिनांक 08.03.2019 द्वारा विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के वार्षिक बजट में वृद्धि के सम्बन्ध में पर विचार। वित्तसमिति द्वारा डॉ० संजय बैजल, प्रमुख, विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के पत्र दिनांक 08.03.2019 द्वारा विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के वार्षिक बजट में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
18. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय के पत्र दिनांक 14.03.2019 द्वारा संकाय कर्मचारियों को मानदेय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पर विचार। वित्त समिति द्वारा अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय के पत्र दिनांक 14.03.2019 द्वारा संकाय कर्मचारियों को मानदेय प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को अगले वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
19. विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं के मूल्यांकन में पाली का भुगतान केन्द्रीय मूल्यांकन से अधिक दिनों में पूरा किया जाता है जिसे व्यय भार अधिक होने पर विचार। सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सेमेस्टर परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु केवल एक दिन में एक ही पाली अथवा अधिकतम 30 दिन के बराबर ही मूल्यांकन में लगे समन्वयक, सहसमन्वयक एवं कर्मचारियों को भुगतान की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
(प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)

सदस्य

श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक (सं.नि.)
(कार्यपरिषद द्वारा नामित)

सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
(प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)

सदस्य

अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग
विशेष आमंत्रित सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति